10 copy

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ 14(OFC)2020 / एफसीए / प्रमुवसं / दिनांक

वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति

जिला जोधपुर एवं वनमण्डल जोधपुर टेरिटोरियल में Diversion of 0.4707 ha. forest land in favour of BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED for Laying of Optical Fibre Cable along the Phalodi - Pokhran road (NH-11) from Phalodi BSNL Telephone Exchange to Beethadi Gram Panchayt under NOFN Project (Chainage- 0.00 to 14.040 km.). Tehsil - Phal District-JODHPUR Raj. **(Proposal No.-FP/RJ/OFC/47432/2020)** के निर्माण हेतु 0.4707 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(46)वन / 2021 दि. 08.09.2021 द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 11–306 / 2014–एफसी दिनांक 28.08.2015 की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अध्यधीन प्रस्तावित क्षेत्र में शून्य वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं।

1. यह स्वीकृति, जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहरित की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् कार्यवाही अमल में लायी जा सकती हैं।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार / पर्यवेक्षण में कार्य किया जायगा।

ह0
(डॉ. डी.एन. पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ 14(OFC)2020 / एफसीए / प्रमुवसं / 3439–42 दिनांक 2.12.21

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई–दिल्ली–110001
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षैत्रीय कार्यालय, जयपुर, कमरा नं. B–216, IRO- जयपुर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, "अरण्य भवन" झालाना इडस्ट्रियल एरिया, जयपुर–302004
3. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
5. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (IT), जयपुर को दी जाकर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
6. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
7. उप वन संरक्षक, जोधपुर को दी जाकर निर्देशित है कि समय–समय पर निरीक्षण कर भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो की पालना सुनिश्चित करें।
8. SDE (NOFN), Room No.-1, BSNL, Shastri Nagar, Jodhpur-342003
9. रक्षी पत्रावली।

(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

Programmer
Ddcf(IT)
6/12/2021